समाचार-प्रकाशनार्थ:-

आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु नियुक्त पर्यवेक्षकों की निगम आयुक्त श्री झारिया ने ली बैठक

6 दिनों में 958 हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाये

रतलाम 10 जून । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार आयुष्मान भारत ष्निरामयम’ ’ योजना अन्तर्गत रतलाम नगर के पात्र हितग्राहियों के निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु गठित दलों के पर्यवेक्षकों की निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बैठक लेकर पात्र हितग्राहियों के शीघ्र कार्ड बनाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये। नगर के शेष रहे हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य 5 जून को प्रारंभ कया गया जिसके तहत 10 जून को 203 कार्ड बनाये गये इस तरह अब तक 958 हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनवाये जा चुके है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने आयोजित बैठक में 5 से 10 जून तक वार्ड वार बनाये गये आयुष्मान कार्ड की जानकारी लेकर निर्दे शत कया क पर्यवेक्षक प्रतिदिन कार्ड बनाने की जानकारी कॉमन सेन्टरों से प्राप्त करेंगे व झोन प्रभारी दरोगाओं से प्राप्त करेंगे।

बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्दे शत कया क दल द्वारा कतने हितग्राहियों से संपर्क कया गयाए कतने हितग्राहियों को कॉमन सेन्टरों पर भेजा गया व कतने हितग्राहियों के कार्ड बने इसकी पंजी संधारित की जाये।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बैठक में निर्दे शत कया क कॉमन सेन्टरों पर बनने वाले आयुष्मान कार्ड को वार्डवार एकत्रित कया जाकर नगर निगम के कार्यालय अधीक्षक कार्यालय में व्यवस्थित रखें जाये साथ ही प्रतिदिन वार्ड अनुसार आने वाले कार्ड की जानकारी पंजी संधारित की जाये तथा इस कार्य हेतु एक कर्मचारीको पाबंद कया जाये।

बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया क पात्र हितग्राहियों के मोबाईल नम्बर व पते की वार्ड वार सूची उपलब्ध करवा दी गई है सूची

अनुसार हितग्राहियों से जिनके मोबाईल नम्बर दर्ज है को मोबाईल से संपर्क कर आयुष्मान कार्ड बनाने की जानकारी लेवें यदी उन्होने कार्ड बनवा लया है तो सूची में राईट का निशान लगावें तथा जिन्होने कार्ड नहीं बनवाया है उनसे मोबाईल पर निरंतर संपर्क करें क उन्होने कार्ड बनवाया है या नहीं यदि निरंतर संपर्क करने पर भी हितग्राही कार्ड नहीं बनवा रहा है तो उनके निवास पर जाकर कार्ड बनवाने हेतु संपर्क करें। साथ ही सूची में सर्फ मु खया का ही नाम है व मोबाईल नम्बर व पता नही है ऐसे हितग्राही की तलाश वार्ड में कर उनसे संपर्क कर मोबाईल नम्बर व पता लेकर कार्ड बनवाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। कार्य को ओर अ धक गति देने हेतु 11 जून को मोहल्ले वार सूची की हार्ड कॉपी गठित दलों को व साफ्ट कॉपी व्हाट्स एप ग्रुप में उपलब्ध करा दी जायेगी।

आयोजित बैठक में उपायुक्त श्री वकास सोलंकीए सहायक आयुक्त श्रीमती ज्योति सुनारियाए कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यासए श्री जी के जायसवालए सहायक यंत्री श्री श्याम सोनीए स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए.पी. संहए समग्र सामाजिक सुरक्षा वस्तार अ धकारी आयुषी पालीवालए निज सहायक श्री सुभाष गोयलए कार्यालय अधीक्षक श्री रामचन्द्र शर्माए उपयंत्री सर्वश्री सुहास पं डतए राजेश पाटीदारए वकास मरकामए ब्रजेश कुशवाहए झोन प्रभारी सर्वश्री पर्वत हाड़ेए करण चौहानए वनय चौहानए वराट मेहरा व आंगनवाड़ी सुपरवाईजर उपस्थित थी।

युद्ध स्तर पर चल रहा है नाले-ना लयों की सफाई का कार्य

4 नालो की सफाई का कार्य जारी

नालो की सफाई उपरांत कया जा रहा है कीटनाशक दवा का छिड़काव

रतलाम 10 जून । वर्षा ऋतु के पूर्व नगर के समस्त नाले-ना लयों की सफाई करवाये का कार्य निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देश के तहत निगम के स्वास्थ्य वभाग द्वारा प्रारंभ कर दिया गया है साथ ही नालो की सफाई उपरान्त कीटनाशक दवा का छिड़काव भी कया जा रहा है।

निगम आयुक्त श्री झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा न्यू अलकापुरीए चौमुखी पुलए डोसीगांव व गौशाला रोड के पीछे के नाले की सफाई का कार्य स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए.पी. संह के निर्देशन में जेसीबी मशीनए टे्क्टर ट्रॉली व गैंग के माध्यम से कया गया व सफाई उपरान्त नालों व ना लयों में केसो लक व ब्ली चंग कीटनाशक दवा का छिड़काव कया गया। इसके अलावा जिला च कत्सालय की बावड़ी की सफाई का कार्य करवाया गया।

नगर के सभी 49 वार्डो में लगे वार्ड के कर्मचारियों की जानकारी के हो र्डंग्स

रतलाम 10 जून। नगर के प्रत्येक वार्ड मंे सफाई कर्मचारियांे के नामए पदनामए मोबाईल नम्बरए हाजरी का स्थलए वार्ड प्रभारीए झोन प्रभारीए स्वास्थ्य अ धकारी के नाम एवं मोबाईल नम्बर की जानकारी के फ्लेक्स हो र्डंग सभी 49 वार्डो में कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार नगर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा लगाये गये।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया क नगर के सभी 49 वार्डो में वार्ड में कार्यरत सफाई कर्मचारियांे के नामए पदनामए मोबाईल नम्बरए हाजरी का स्थलए वार्ड प्रभारीए झोन प्रभारीए स्वास्थ्य अ धकारी के नाम एवं मोबाईल नम्बर की जानकारी का फ्लेक्स हो र्डंग लगवा दिये गये हैं ता क सभी को कर्मचारियों के संबंध में जानकारी प्राप्त हो सकें क उनके वार्ड में सफाई कार्य हेतु कौन-कौन व कतनी संख्या में कर्मचारी कार्यरत है।

स्वच्छंद वचरण करने वाले मवे शयों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा

932 मवे शयों को पकड़कर नगर के बाहर की गौशालाओं में भेजा

रतलाम 10 जून । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानोए सड़कोए चौराहों पर स्वच्छंद वचरण करने वाले मवे शयों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवे शयों को पकड़ा जायेगा क्यों क मवेशी

पालको द्वारा दिन में मवे शयों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा अ भयान चलाया जा रहा है जिसके तहत 10 जून तक शहर के व भन्न क्षेत्रों से 932 मवे शयों को पकड़ा जाकर जिले की व भन्न गौशालाओं में भेजा गया। अ भयान के तहत 10 जून को सैलाना रोडए शहीद चौकए बाजना बस स्टैण्डए कस्तुरबा नगर आदि क्षेत्रो से 6 मवेशी निगम के स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा पकड़े गये।

शहर के सार्वजनिक स्थानोंए सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अ भयान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी कया गया है। शहरी क्षेत्र में मवे शयों का पालन करना नियम वपरित हैए ऐसे मवेशी पालक जो क शहरी क्षेत्र में अनुमति के वपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवे शयों का पालन कया जा रहा है वे स्वंय अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हे तोड़ा जाकर रा श वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो क अपना घोड़ा या अन्य कसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोडेगा व उससे कसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पंहूचता है तो पालक पर 500 रूपये का अर्थदण्ड कये जाने का प्रावधान हैं। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड रा श रूपये 500ध् वसूल करेगा स्वच्छंद रूप से वचरण करने वाले मवे शयों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए0पी0 संह के निर्देशन में स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा की गई।

कन्टेनमेंट क्षेत्रों में कया जा रहा है सेनेटाईजेशन का कार्य

रतलाम 10 जून । को वड-19 ;कोरोना वायरस) के फैलाव को रोकने हेतु जिला कलेक्टर श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार नगर के

 व भन्न क्षेत्रों में कोरोना संक्र मत मरीज पाये जाने पर बनाये गये कन्टेनमेंट क्षेत्रों में फायर लॉरीए टे्रक्टर ट्रॉली व हैण्ड स्प्रे मशीन से सेनेटाईजेशन कया जा रहा है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया क नगर के व भन्न क्षेत्रों में कोरोना संक्र मत मरीज पाये जाने पर बनाये गये व भन्न कन्टेनमेंट क्षेत्रों में फायर लॉरीए टे्रक्टर ट्रॉली व हैण्ड स्प्रे मशीन से कन्टेनमेंट क्षेत्रों में निय मत रूप से पानी में 1 प्रतिशत सो डयम हाईपोक्लोराईड मलाकर सेनेटाईजेशन का कार्य झोन अनुसार नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा निय मत रूप से कया जा रहा है ता क को वड-19 ;कोरोना वायरस) के फैलाव को जा सकें।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के वरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 10 जून । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्दे शत कया है क वे नगर के प्रत्येक घरए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व संबं धत झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त कये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्दे शत कया यदि कसी भी वार्ड में मक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबं धत कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त कये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्दे शत कया क प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्दे शत कया क दोनो पा लयों मंे वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लया जाता

तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्दे शत कया है क वे प्रतिदिन प्रमा णत करेंगे क उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

खुले में गंदगी करने व पॉलीथीन का वक्रय व उपयोग करने वालो की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम 10 जून । नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो क खुले मेंए नाले-ना लयों में कचरा डालते है व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का वक्रयए उपयोग व भण्डारण करते है उन पर जुर्माना कये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने दल का गठन कर स्पॉट फाईन हेतु वाहन भी उपलब्ध कराया है।

गठित दल में मनोज टांक मो.नं. 7000848456ए पवन झांझोट मो.नं. 7000128812ए आकाष षन्दे मो.नं. 9424075393ए मनोज झांझोट मो.नं. 6268449110ए राकेष ललावत मो.नं. 7000128812 नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो क खुले मेंए नाले-ना लयों में कचरा डालते है व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का वक्रयए उपयोग व भण्डारण करते है उन पर जुर्माना करेंगे व जो दुकानदार जुर्माने के बाद भी निरंतर गंदगी करते है उनकी दुकाने सील करने की कार्यवाही करेंगे।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है क षहर को गंदा करने वाले नागरिकोंए दुकानदारों आदि की जानकारी उक्त मोबाईल नम्बरों पर देकर नगर को साफ-स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के वरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 10 जून । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डो की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले-ना लयों आदि समु चत सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है।

वार्डो में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले-ना लयों में कचरा पाये जाने पर संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समु चत साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार/ज.सं. व./हेमन्त/10ण्06ण्2021ध्न.पा.निगमए रतलाम.